



शिक्षित महिला प्रतिनिधित्व का ग्रामीण विकास में योगदान :

एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुनीता देवी

शोधार्थी, समाजशास्त्र- विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सत्येंद्र सिंह

शोध निर्देशक, समाजशास्त्र- विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

शोध आलेख सार

स्वतंत्रता से पहले भारत में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था परंतु वर्तमान में भारतीय महिला जो कि 18 वर्ष की आयु को प्राप्त चुकी हैं, वो अपना मतदान कर सकती है | 73 वें संविधान संशोधन से स्थानीय सुशासन में महिलाओं की सहभागिता को निश्चित कर दिया तथा आरक्षण देकर उनमें राजनीतिक चेतना को जागृत किया | हरियाणा प्रदेश में भी स्थानीय स्वशासन के साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती रही है | स्थानीय सुशासन में हरियाणा पंचायती राज संशोधन एक्ट 2015 ने शिक्षित महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाया वहीं पर अब हरियाणा पंचायतीराज दूसरा संशोधन 2020 में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर एक नया इतिहास रच दिया | शिक्षित महिला प्रतिनिधित्व ने ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का काम भी किया | शिक्षित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है , इसलिए वह ग्रामीण विकास को बखूबी कर सकती है तथा सभी सरकारी योजनाओं को अच्छी प्रकार से ग्रामीणों को लाभ दिलवाने में अग्रणी भूमिका निभा सकती है |

मुख्य शब्द : संवैधानिक संशोधन ,आधुनिकीकरण, पंचायती राज संस्था ,स्थानीय सुशासन, सामंतवादी सोच, सहभागिता, ग्रामीण विकास

भूमिका

भारत गांवों का देश है | आज भी देश की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है | आधुनिक युग में ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि 21 वीं शताब्दी में जहाँ एक ओर डिजिटल भारत की बात चल रही है वहीं दूसरी ओर पंचायतें भी ई - पंचायतों के रूप में काम करने के लिए अग्रसर है | तकनीकी को शिक्षित व्यक्ति आसानी से समझ सकता है तथा अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा दे सकता है | ग्रामीण विकास को पंचायतों के द्वारा सुचारु रूप से किया जा सकता है |

“पंडित” नेहरू जी ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है | इसमें प्रजातंत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं | पंचायतों के द्वारा लोगों में स्वावलंबन की भावना जागृत होती है | भारत जैसे देश जिससे गांव का देश भी कह सकते हैं | दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है | लोकतंत्र शासन प्रणाली में महिलाओं को पुरुषों के समान ही समानता का अधिकार प्राप्त है इसलिए यह महसूस किया गया कि स्थानीय सुशासन में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि स्थानीय सुशासन की

राजनीति की नींव का काम करती है | अगर स्थानीय सुशासन में महिलाओं की भागीदारी होगी तो वे देश के विकास व ग्रामीण विकास में अपना सकारात्मक योगदान दे पाएंगे |

अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो सबसे पहले हम 73 वें संविधान संशोधन की बात करेंगे क्योंकि यही वह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन था जिसने महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण देकर महिलाओं का राजनीति में प्रवेश करवाने का साधन बना और महिलाओं की ऊर्जा को एक सही दिशा में प्रयोग कर ग्रामीण विकास को एक नई दिशा प्रदान की | हरियाणा में पंचायती राज संशोधन एक्ट 2015 ने पंचायतों को शिक्षित पंचायतें बनाने का काम किया इस एक्ट ने पंचायतीराज में महिलाओं की सहभागिता को इस प्रकार से बढ़ाया कि 8% महिलाएं अनारक्षित सीटों से चुनकर भी पंचायतीराज में शामिल हुईं | हरियाणा जैसे प्रदेश जिसमें सामंतवादी सोच व पर्दा प्रथा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है वहाँ पर राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला | न्यूनतम शिक्षा की शर्त ने एक ओर हरियाणा प्रदेश में पढ़ा लिखा नेतृत्व उभारने में सहायता प्रदान की वहीं पर शिक्षित महिलाओं की ऊर्जा को ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का काम भी किया |

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का आधार पंचायतें हैं | ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों को हमेशा तैयार रहना पड़ता है तथा एक जिम्मेदार भूमिका अदा करनी पड़ती है | वर्तमान समय में हम देखे तो गांव में भी शहरों की तरह आधुनिकीकरण बड़े स्तर पर हो रहा है | उद्योग जगत गांव की तरफ रुख कर रहा है | गांव की संरचना व प्रकार्य में कई तरह के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के महत्त्व को ओर बढ़ा दिया है | महिला प्रतिनिधि ग्रामीण विकास को बखूबी तरीके से कर सकती है अगर उनको प्रशासन का सहयोग समय समय पर मिलता रहे |

शोध उद्देश्य

- 1 महिला प्रतिनिधियों के शैक्षिक स्तर का अध्ययन करना |
- 2 शिक्षित महिला प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास में योगदान का अध्ययन करना |

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध आलेख प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों पर आधारित है | इसके लिए संदर्भ पुस्तकों व म्हारी पंचायत पोर्टल व बी.डी.पी.ओ दफ्तर से शोध सामग्री एकत्रित की गई तथा साक्षात्कार प्रविधि के माध्यम से भी महिला प्रतिनिधियों से तथ्य एकत्रित किए गए | यह अध्ययन अनुभविक व विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है |

साहित्य पुनरावलोकन

गुप्ता (1988) पंचायतीराज का प्रमुख उद्देश्य ग्राम तथा ग्राम वासियों का समुचित विकास तथा कल्याण है | केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व पंचायतीराज संस्थाओं का होता है | अब तक गांव के विकास तथा कल्याण के लिए सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं लागू की जा चुकी है

जनसता 17 जनवरी 2017 पंचायतीराज में पंचायतों की आरक्षित सीटों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है ऐसे में आरक्षण की प्रक्रिया के कारण आधे से ज्यादा प्रतिनिधि नए होते हैं निर्वाचित महिलाओं में दलितों और आदिवासियों में नए प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है ऐसे प्रतिनिधियों को पंचायत के कामकाज को लेकर कई उलझनों का सामना करना पड़ता है जिनमें मुख्यता सामाजिक दबाव समाज का असहयोगात्मक रवैया आदि प्रमुख हैं

चाष्टा (2016) ने अपने अध्ययन ग्रामीण नेतृत्व एवं स्थानीय सुशासन में पाया कि पंचायतीराज में महिला नेतृत्व की वर्तमान व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है राजस्थान के रूढ़िवादी ग्रामीण समाज में जहाँ प्रदा प्रथम महिला निरीक्षक था तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था है वहाँ उसी समाज की महिलाएं बल्कि अति पिछड़े वर्ग से चयनित महिलाएं जब सरपंच की कुर्सी पर पूरे गांव के सामने बैठेंगी तो यह सुशासन के लिए मील का पत्थर साबित होगा पंचायतीराज में शुरू शासन के विकास में ग्रामों में महिला नेतृत्व एवं सक्रियता की सशक्त अभिव्यक्ति हो उनके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं

में नवीन ग्रामीण नेतृत्व का अभ्युदय जरूर हुआ परंतु विडंबना यह है कि इस नेतृत्व का शैक्षणिक स्तर निम्न हैं और उनकी मानसिकता संकीर्ण हैं उनमें जागरूकता का अभाव है

2016 के पंचायतीराज संस्थाओं में आदमपुर खंड की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के शैक्षिक स्तर का विश्लेषण

तालिका 1

महिला प्रतिनिधियों का शैक्षिक स्तर का विवरण

शैक्षिक स्तर	ग्राम पंचायत		कुल
	पंच	सरपंच	
प्राथमिक	15(10.41)	0	15(9.74)
मिडल	31(21.52)	5(50)	36(23.37)
मैट्रिक	81(56.25)	4(40)	85(55.19)
वरिष्ठ माध्यमिक	16(11.11)	0	16(10.38)
स्नातक व ऊपर	1(0.69)	1(10)	2(1.29)
कुल	144(100)	10(100)	154(100)

कोष्ठक में दिए गए अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं

स्रोत : हमारी पंचायत पोर्टल पावर्ड बाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एच.आर.एस.सी.) डिस्ट्रिक्ट सेंटर हिसार

तालिका के विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पंचायतों में शिक्षा की न्यूनतम शर्त ने महिला सहभागिता को बढ़ाया है । जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा स्तर का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में शामिल हुई है |आदमपुर ब्लॉक के कुल पंच व सरपंच पद पर चयनित प्रतिनिधियों से मैट्रिक शैक्षिक स्तर का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा रहा है |

शिक्षित प्रतिनिधि ही ग्राम पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं | महिला सरपंच के पदा लिखा होने पर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा | “नितिन सोनी” ने कहा पंचायत के मुखिया की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होने से यह निश्चित हो गया है कि भविष्य में शिक्षित सरपंच एक गांव में मिलेंगे जिससे विकास कार्य तीव्र गति से होंगे | यह लोकतंत्र को मजबूत करने वाला निर्णय है | चुनाव आयोग इसके लिए प्रशंसा व साधुवाद का पात्र हैं |

शिक्षित महिला प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास में योगदान

शोध आलेख के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व अध्ययन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आदमपुर खंड के गांव घुडसाल की सरपंच सुश्री रितु सहारण का व्यक्तिगत अध्ययन करके उनके ग्रामीण विकास में सहभागिता जानने का प्रयास किया गया | शिक्षित महिला प्रतिनिधियों का ग्रामीण विकास में योगदान पर चर्चा करते हुए गांव घुडसाल के सरपंच से बातचीत की गई | सरपंच का नाम रीतु सहारण है जो कि जाट जाति से संबंध रखती है | रितु सहारण का शैक्षिक स्तर स्नातकोत्तर हैं | इन्होंने एमए लोक प्रशासन विषय में किया है | रितु सहारण आरक्षित सीट से चुनकर पंचायती राज संस्था में आयी परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त महिला सरपंच अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक है | सरपंच ने ग्राम विकास के लिए कई ऐसे कार्य किए जो उनके कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चय को व उनकी सझबझ को दर्शाते हैं | उन्होंने बताया कि हिसार जिला में कई प्राथमिक विद्यालय बच्चों के नामांकन न होने की वजह से बंद होने की कगार पर थे जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय उनके गांव घुडसाल का भी था | इसके लिए सरपंच ने अपनी सझबझ व कार्यशैली तथा लगन से स्कूल में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन करवाने के लिए गांव में जागरूकता अभियान चलाया तथा स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करवाया व शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया गया | गांव में खंड स्तर का स्टेडियम बनवाने का प्रयास किया गया और सरकार से मंजूर भी करवाया गया उन्होंने बताया कि स्टेडियम बनवाने के लिए सरकार की कुछ शर्तें होती हैं जिनमें पहली शर्त थी कि 10% व्यय ग्राम पंचायत को

करना पड़ेगा और आसपास के गांवों से भी सहमति लेनी पड़ेगी तथा साथ ही छह एकड़ समतल भूमि पंचायत को देनी पड़ेगी। इन सभी शर्तों को पूरा करते हुए स्टेडियम बनवाने की मंजूरी प्राप्त की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल में सभी सावधानियां बरती गईं तथा स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनवाया गया साथ ही पूरे गांव में सैनिटाइजेशन करवाया गया। जो डॉक्टरों की टीम गांव का जायजा लेने पहुंचीं उन्होंने सरपंच को बधाई देते हुए बताया कि आसपास के सभी गांवों में सबसे सुरक्षित गांव घुडसाल बताया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरपंच द्वारा स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। प्रार्थना सभा के लिए शेड बनवाया गया। साफ सफाई की व्यवस्था व पार्क भी बनवाए गए। श्मशान भूमि में शेड बनवाया गया व पार्क का निर्माण करवाया गया। गांव में पानी की नालियों पर जाली लगवाई गई ताकि कोई दुर्घटना से बचा जा सके।

निष्कर्ष

पंचायतीराज संस्थाएँ राजनीति की नींव का काम करती हैं और गांव के विकास में अपना प्राथमिक योगदान देती हैं। महिलाएं देश की आबादी के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए देश का नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधियों को चुनने के साथ साथ देश की राजनीति में नेतृत्व करने में अपना अहम योगदान देते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण पाकर महिलाएं पंचायतीराज में सहभागिता कर रही हैं तथा ग्रामीण विकास को एक नई दिशा दे रही हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में गांव घुडसाल की सरपंच का व्यक्ति का अध्ययन किया गया सुश्री रितु सहारण गांव घुडसाल की अविवाहित महिला सरपंच हैं जो कि अपने आप में एक सामाजिक परिवर्तन को व्यक्त करता है क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश में बेटियों को पराया धन समझा जाता है वहीं पर रितु सहारण ने पंचायत के चुनाव में जीत हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया और उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण अपने कार्यशैली से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा दी उन्होंने साबित कर दिया कि समाज महिलाओं को अगर अवसर प्रदान करें तो वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं।

Bibliography

- नेहरू 1965
- कांतादेवी ,महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण शाहाबाद खंड का अध्ययन ISSN 2249-2976
Pramana Research journal vol 21 july – Sep. 2016
- राजेश कुमार, हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की दशा एवं दिशा एक समीक्षात्मक अध्ययन ISSN 2229-7227 Chintan Research journal vol 20 Oct. -Dec. 2015
- महरी पंचायत पोर्टल से
- टाइम्स ऑफ इंडिया ऑनलाइन